


परिपत्र

विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, राज्य में आचार संहिता प्रारम्भ हो चुकी है, इस दौरान विभिन्न विभागों, एजेन्सीज, स्थानीय निकायों एवं नगरीय निकायों में कार्यरत अनेक कर्मचारी व अधिकारीगण चुनाव ड्यूटी लगा दिये गये हैं या शीघ्र ही लगा दिये जायेंगे। ऐसे में राजकीय भूमि/सार्वजनिक भवनों/ सम्पत्तियों/ सडकों/पार्को इत्यादि पर अतिक्रमण करने तथा अवैद्य निर्माण की गतिविधियाँ बढने की आंशका रहती है। अतः सभी सम्बन्धित अधिकारीगण अवैद्य निर्माण व अतिक्रमणों को सख्ती से रोका जाय व ऐसा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कडी कार्यवाही करें।

इसके लिए आपके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों के मध्य क्षेत्र का विभाजन किया जाय। उनकी अपने अपने क्षेत्र में अवैद्य निर्माण व अतिक्रमण को रोकने के लिये जिम्मेवारी तय की जावे व जिन अधिकारियों व कार्मिकों के क्षेत्र में अवैद्य निर्माण/ अतिक्रमण होता है उनकी जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाये।

  
(पवन कुमार गोयल)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

निम्नांकित को पालनार्थ प्रेषित है :-

1. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर / अजमेर / जोधपुर ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
3. सचिव, सभी नगर सुधार न्यास।
4. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर / अजमेर / उदयपुर / जोधपुर / कोटा / भरतपुर / बीकानेर ।
5. समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव एवं निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।

  
अतिरिक्त मुख्य सचिव